



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052022-235603
CG-DL-E-06052022-235603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944

No. 244]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

दिनांक 23.04.2021 की अधिसूचना का शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

सं. ईको-1/2021-केविआ.—“वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा की उपाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ का अवधारण करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत” से संबंधित विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.01.2005 (समय-समय से यथासंशोधित) के खंड 5.6 (vi) के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 1.4.2021 से 30.9.2021 तक की अवधि के लिए लागू दिनांक 23.4.2021 की अधिसूचना के माध्यम से, भुगतान के प्रयोजन के लिए, कोयले के अंतर्देशीय परिवहन प्रभार हेतु वृद्धि दर सहित विभिन्न वृद्धि दरों और अन्य मापदंडों को अधिसूचित किया था।

2. रेल मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 8.3.2021 के माध्यम से सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक कोयले के परिवहन (कोयला भाड़ा दर) पर डाटा इस नोट के साथ प्रस्तुत किया था कि 1.7.2020 से 1400 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए कोयला परिवहन हेतु @ 20% की दर पर दीर्घ दूरी रियायत दी जाएगी। तदनुसार, केविआ ने 2000 किलोमीटर (-39.63%) की दूरी तक के लिए और 2000 (-40.00%) किलोमीटर की दूरी से आगे कोयले के अंतर्देशीय परिवहन प्रभार हेतु वृद्धि दर अधिसूचित की थी। तथापि, तदनंतर भारतीय रेल की वेबसाइट से आयोग के नोटिस में आया कि रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक 30.6.2020 जिसके आधार पर रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 8.3.2021 के पत्र में निर्धारित किया गया कि 1400 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए कोयला परिवहन हेतु लागू 20% दीर्घ दूरी रियायत इस शर्त के अध्याधीन (फ्लोर सीमा) होगी कि रियायत को लागू करने के बाद सामान्य टैरिफ दर (एनटीआर) 1400 किलोमीटर की दूरी के लिए एनटीआर से कम नहीं होगी।

3. दिनांक 30.6.2020 के परिपत्र में उल्लिखित शर्त को लागू करने के परिणामतः, 2000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए कोयले के लिए अंतर्देशीय परिवहन प्रभार के लिए वृद्धि दर की संगणना हेतु प्रयुक्त डाटा को संशोधित किया गया है। तथापि, 2000 किलोमीटर से आगे की दूरी के लिए कोयले के अंतर्देशीय परिवहन प्रभार हेतु वृद्धि दर में कोई परिणामी परिवर्तन नहीं देखा गया है।

4. उक्त संदर्भित 30.6.2020 के परिपत्र में उल्लिखित शर्त सहित दीर्घ दूरी रियायत को लागू करने के बाद, 2000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए कोयले के लिए अंतर्देशीय परिवहन प्रभार हेतु वृद्धि दर की संगणना की गई। तदनुसार, निम्नलिखित संशोधन किया गया।

5. दिनांक 23.04.2021 की अधिसूचना की सारणी के क्र. सं. 4.4 में वृद्धि दर को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:

उपरिलिखित मार्गनिर्देशों के अंतर्गत प्रविष्ट किए गए ऊर्जा क्रय करार के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा की उपाप्ति के लिए भुगतान के प्रयोजन हेतु 01.04.2021 से 30.09.2021 तक की अवधि के लिए लागू वार्षिक वृद्धि दरें:

क्र.सं.	विवरण	भुगतान हेतु वार्षिक वृद्धि दर
4	कोयले के अंतर्देशीय परिवहन प्रभार हेतु वृद्धि दरें	
4.4	2000 किलोमीटर की दूरी तक	(-)32.50%

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन III / 4 / असा. / 65 / 2022-23]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION CORRIGENDUM TO THE NOTIFICATION DATED 23.04.2021

New Delhi, the 13th April, 2022

No. Eco-1/2021-CERC.— In pursuance of Clause 5.6 (vi) of Ministry of Power Notification dated 19.1.2005 (as amended from time to time) on “Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees”, the Central Electricity Regulatory Commission, vide notification dated 23.4.2021 applicable for the period from 1.4.2021 to 30.9.2021, had notified various escalation rates and other parameters, including the escalation rate for inland transportation charges for coal, for the purpose of payment.

2. Ministry of Railways vide its letter dated 8.3.2021, had submitted the data on transportation of coal (coal freight rate) from September 2020 to February 2021 with a note that long lead concession @ 20% for coal transportation for distance of more than 1400 kms w.e.f. 1.7.2020. Accordingly, CERC had notified the escalation rate for inland transportation charges for coal for distance up to 2000 kms (-39.63%) and beyond 2000 kms (-40.00%). However, subsequently it has come to the notice of the Commission from the website of the Indian Railways that the Circular dated 30.6.2020 issued by the Ministry of Railways on the basis of which the letter dated 8.3.2021 had been issued by the Ministry of Railways stipulates that the long lead concession of 20% applicable for coal transportation for distance more than 1400 kms would be subject to a condition (floor limit) that the normal tariff rate (NTR) after applying the concession shall not be less than the NTR for distance of 1400 kms.

3. Consequent to application of the condition mentioned in the Circular dated 30.6.2020, the data used for computing the escalation rate for inland transportation charges for coal for distance up to 2000 kms has been revised. However, no consequential change has been observed in the escalation rate for inland transportation charges for coal for distance beyond 2000 kms.

4. After applying the long lead concession along with the condition mentioned in the Circular dated 30.6.2020 referred above, the escalation rate for inland transportation charges for coal for distance up to 2000 kms has been computed. Accordingly, the following amendment is made.

5. The escalation rate at S. No. 4.4 of Table of the notification dated 23.04.2021 is substituted as under:

Annual Escalation Rates applicable for the period from 01.04.2021 to 30.09.2021 for the purpose of payment for Procurement of Power by Distribution Licensees as per the Power Purchase Agreement entered into under the guidelines mentioned above:

S. No.	Description	Annual Escalation Rates for Payment
4	Escalation rates for inland transportation charges for coal	
4.4	Up to 2000 Km distance	(-)32.50%

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./65/2022-23]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

सं. ईको-1/2022-केविआ.—“वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा की उपाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ का अवधारण करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत” से संबंधित विद्युत मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित तारीख 19.01.2005 की अधिसूचना के खंड 5.6 (vi) के अनुसरण में और दिनांक 03.11.2020 के संशोधन के साथ पठित दिनांक 22.07.2020 की “कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजनाओं से पावर के साथ संपूरक, ग्रिड संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से राउण्ड दि क्लॉक विद्युत की प्राप्ति के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मार्गनिर्देश” से संबंधित विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव के पैराग्राफ 5.4 और पैराग्राफ 5.5 के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग संदाय के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित वृद्धि दरों को अधिसूचित करता है।

उपरिलिखित मार्गनिर्देशों के अंतर्गत प्रविष्ट किए गए ऊर्जा क्रय करार के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा की उपाप्ति के लिए भुगतान के प्रयोजन हेतु 01.04.2022 से 30.09.2022 तक की अवधि के लिए लागू वार्षिक वृद्धि दरें:

क्र.सं.	विवरण	भुगतान हेतु वार्षिक वृद्धि दर
1.	स्वदेशी कोयला के लिए वृद्धि दर	0.00%
2.	स्वदेशी गैस के लिए वृद्धि दर	66.63%
3.	आयातित कोयले पर आधारित संयंत्रों के लिए ऊर्जा प्रभार के विभिन्न वृद्धि योग्य उप-संघटकों हेतु वृद्धि दर	
3.1	आयातित कोयले के लिए वृद्धि दर	107.52%
3.2	आयातित कोयले के परिवहन के लिए वृद्धि दर	44.21%
3.3	आयातित कोयले की अंतर्देशीय उठाई-धराई के लिए वृद्धि दर	11.16%
4.	कोयले के अंतर्देशीय परिवहन प्रभार हेतु वृद्धि दरें	
4.1	100 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.2	125 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.3	500 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.4	1000 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.5	1400 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.6	2000 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.7	2000 किलोमीटर की दूरी से आगे	0.00%
5.	गैस के लिए अंतर्देशीय परिवहन प्रभार हेतु वृद्धि दरें	0.00%
6.	आयातित गैस पर आधारित संयंत्रों के लिए ऊर्जा प्रभार के विभिन्न वृद्धि योग्य उप-संघटक के लिए वृद्धि दरें	
6.1	आयातित गैस के लिए वृद्धि दर	345.92%

6.2	आयातित गैस के परिवहन के लिए वृद्धि दर	44.21%
6.3	आयातित गैस की अंतर्देशीय उठाई-धराई के लिए वृद्धि दर	11.16%
7.	सूचकांक क्षमता प्रभार संघटक को लागू की जाने वाली मुद्रास्फीति दर	11.16%
8.	कैप्टिव ईंधन स्रोत की दशा में, सूचकांक ऊर्जा प्रभार संघटक को लागू की जाने वाली मुद्रास्फीति दर	19.00%

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन III / 4 / असा. / 65 / 2022-23]

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2022

No. Eco-1/2022-CERC.—In pursuance of Clause 5.6 (vi) of Ministry of Power's Notification on "Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees", dated 19.01.2005, as amended from time to time, and in pursuance of paragraph 5.4 and paragraph 5.5 of the Ministry of Power's Resolution on "Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round- The-Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from Coal Based Thermal Power Projects" dated 22.07.2020 read with amendment dated 03.11.2020, the Central Electricity Regulatory Commission notifies the following escalation rates for the purpose of payment.

Annual Escalation Rates applicable for the period from 01.04.2022 to 30.09.2022 for the purpose of payment for Procurement of Power by Distribution Licensees as per the Power Purchase Agreement entered into under the guidelines mentioned above:

Sr. No.	Description	Annual Escalation Rates for Payment
1	Escalation rate for domestic coal	0.00%
2	Escalation rate for domestic gas	66.63%
3	Escalation rates for different escalable sub-components of energy charge for plants based on imported coal	
3.1	Escalation rate for imported coal	107.52%
3.2	Escalation rate for transportation of imported coal	44.21%
3.3	Escalation rate for inland handling of imported coal	11.16%
4	Escalation rates for inland transportation charges for coal	
4.1	Up to 100 Km distance	0.00%
4.2	Up to 125 Km distance	0.00%
4.3	Up to 500 Km distance	0.00%
4.4	Up to 1000 Km distance	0.00%
4.5	Up to 1400 Km distance	0.00%
4.6	Up to 2000 Km distance	0.00%
4.7	Beyond 2000 Km distance	0.00%
5	Escalation rate for inland transportation charges for gas	0.00%
6	Escalation rates for different escalable sub-components	

	of energy charge for plants based on imported gas	
6.1	Escalation rate for imported gas	345.92%
6.2	Escalation rate for transportation of imported gas	44.21%
6.3	Escalation rate for inland handling of imported gas	11.16%
7	Inflation rate to be applied to indexed capacity charge component	11.16%
8	Inflation rate to be applied to indexed energy charge component in cases of captive fuel source	19.00%

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./65/2022-23]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

सं. ईको-1/2022-केविआ.—दिनांक 03.11.2020 के संशोधन के साथ पठित "कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजनाओं से पावर के साथ संपूरक, ग्रिड संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से राउण्ड दि क्लॉक विद्युत की प्राप्ति के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मार्गनिर्देश" पर दिनांक 22.07.2020 से संबंधित विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव के पैराग्राफ 5.1 और पैराग्राफ 6.4 के अनुसरण में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग बोली मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दरों और अन्य मापदंडों को अधिसूचित करता है।

बोली मूल्यांकन के लिए वार्षिक वृद्धि दरें (31.03.2023 तक खुलने वाली बोली के लिए)

क्र.सं.	विवरण	बोली मूल्यांकन हेतु वार्षिक वृद्धि दरें (%)
1.	स्वदेशी कोयले के लिए वृद्धि दर	3.99
2.	स्वदेशी गैस के लिए वृद्धि दर	4.38
3.	कोयले के अंतर्देशीय परिवहन प्रभार हेतु वृद्धि दरें	
3.1	125 किलोमीटर की दूरी तक	11.58
3.2	500 किलोमीटर की दूरी तक	8.49
3.3	1000 किलोमीटर की दूरी तक	7.87
3.4	2000 किलोमीटर की दूरी तक	5.98
3.5	2000 किलोमीटर की दूरी से आगे	5.50
4.	गैस के लिए अंतर्देशीय परिवहन प्रभार हेतु वृद्धि दरें	0.61
5.	आयातित कोयले के लिए वृद्धि दर	(-)1.59
6.	आयातित गैस के लिए वृद्धि दर	1.37
7.	आयातित कोयले के परिवहन के लिए वृद्धि दर	(-)2.86
8.	आयातित गैस के परिवहन के लिए वृद्धि दर	(-)2.86
9.	बोली मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाने वाली बट्टा दर	8.09

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./65/2022-23]

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2022

No. Eco-1/2022-CERC.—In pursuance of paragraph 5.1 and paragraph 6.4 of the Ministry of Power's Resolution dated 22.07.2020 on "Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The-Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from Coal Based Thermal Power Projects" read with amendment dated 03.11.2020, the Central Electricity Regulatory Commission notifies the following rates and other parameters for the purpose of bid evaluation.

Annual Escalation Rates for Bid Evaluation (for bid opening up to 31.03.2023)

Sr. No.	Description	Annual Escalation Rates for Bid Evaluation (%)
1	Escalation rate for domestic coal	3.99
2	Escalation rate for domestic gas	4.38
3	Escalation rate for inland transportation charges for coal	
3.1	Up to 125 Km distance	11.58
3.2	Up to 500 Km distance	8.49
3.3	Up to 1000 Km distance	7.87
3.4	Up to 2000 Km distance	5.98
3.5	Beyond 2000 Km distance	5.50
4	Escalation rate for inland transportation charges for gas	0.61
5	Escalation rate for imported coal	(-)1.59
6	Escalation rate for imported gas	1.37
7	Escalation rate for transportation of imported coal	(-)2.86
8	Escalation rate for transportation of imported gas	(-)2.86
9	Discount rate to be used for bid evaluation	8.09

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./65/2022-23]